न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 284/2022
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. सतिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. परमजीत कौर पत्नी स्व. श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. सुखपाल सिंह पुत्र श्री जोरा सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जगदीप कौर पुत्री श्री जोरा सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सन्दीप कौर पुत्री स्व. श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. अमनदीप कौर पुत्री स्व. श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. मनदीप कौर पुत्री श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 20.9.22

वादीगण सतिन्द्र सिंह व अन्य ने प्रतिवादीगण सुखपाल सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के दादा, वादी सं. 2 के ससुर एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. जोरा सिंह पुत्र हरि सिंह

लगातार --2

20/9
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 69/145 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.595 है. कृषि भूमि, इसी चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 72/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.265 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) **वादी सं. 1 सतिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 7 पी.टी.पी. खाता सं. 69/145 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/128	10	14/0.253 है., 15/1/0.215 है., 15/2/0.038 है., 16/2/0.089 है.,

मुमकिन 0.557 है., गै.मु. 0.038 है., कुल 0.595 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 पी.टी.पी. खाता सं. 72/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/128	10	12,13/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(ख) **वादीया सं. 2 परमजीत कौर पत्नी स्व. श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

चक 7 पी.टी.पी. खाता सं. 72/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
132/133	41	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.
133/132	31	22,23/0.253 है.प्र.

लगातार --3

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

मुमकिन 0.734 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 69/145 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 एवं इसी चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 72/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के दादा, वादी सं. 2 के ससुर एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. जोरा

लगातार --4

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सिंह पुत्र हरि सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 69/145 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.595 है. कृषि भूमि, इसी चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 72/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.265 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 69/145 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 एवं इसी चक 7 पी.टी.पी. के खाता सं. 72/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की जमाबन्दी की प्रति पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) **वादी सं. 1 सतिन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 7 पी.टी.पी. खाता सं. 69/145 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/128	10	14/0.253 है., 15/1/0.215 है., 15/2/0.038 है., 16/2/0.089 है.,

मुमकिन 0.557 है., गै.मु. 0.038 है., कुल 0.595 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 7 पी.टी.पी. खाता सं. 72/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
130/128	10	12,13/0.253 है.प्र.
		कुल 0.506 है. कृषि भूमि

(ख) **वादीया सं. 2 परमजीत कौर पत्नी स्व. श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

चक 7 पी.टी.पी. खाता सं. 72/48 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
132/133	41	15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.
133/132	31	22,23/0.253 है.प्र.

मुमकिन 0.734 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

लगातार --5

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपरोक्तानुसार वादीगण का खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.1.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/1/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया